



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP38390748117292U
Certificate Issued Date	: 02-Nov-2022 03:07 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14256304/ RAEBARELI SADAR/ UP-RAB
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1425630469629422578312U
Purchased by	: SMT RAM DULARI WO LATE HANUMAN
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: SMT RAM DULARI WO LATE HANUMAN
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: SMT RAM DULARI WO LATE HANUMAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते



Please write or type below this line



(घोषणा-पत्र)

मैं/हम..... सत्यनिष्ठा से आश्वासन और वचन देत हूँ/देते हैं कि :-
 (क)मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं हमअनुज्ञापिधारी से आपूर्ति के प्रारम्भ केदिनांक..... से 2 वर्षों के न्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्योंकेलिए ऊर्जा का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूँ/रखते हैं।
 (ख)मैं/हम आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञापिधारी की वितरण संहिता (कोड) को उसमें उल्लिखित किन्ही उपान्तरणों सहित और भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के उपबंधों का इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली का और विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के उपबंधों से जहाँ तक कि यहप्रयोज्य है बाध्य होने की सहमत हूँ/हैं।

रामदुलारी

अधिकाधी अभियन्ता
 विद्युत वितरण सार्व 'द्वारा
 - राबबरेली

रामदुलारी

मैं/हम भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपबंधों का पालन करने में मेरे/हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह उपरोक्त कथितवितरणसहिता के निबन्धनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दें।

(बि) मैं/हम आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति में किसी विघ्न/कमी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियन्त्रण से परे हैं उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा।

(क) मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यह घोषणा पत्र दो वर्ष पश्चात् इस सहितामें वर्णितप्रक्रिया के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा नोटिस देकर रद्द की जा सकती है।

(ख) जमा योजना सामान्य योजना लघु सिंचाई अथवा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत संयोजन प्राप्त करने पर नया परिवर्तक स्थापित किया जाता है अथवा पूर्व से ही स्थापित है लेकिन अधिभारित नहीं है ऐसी दशा में उसी परिवर्तक से 30प्र0 पावर कार्पोरेशन/लि0 द्वारा किसी दूसरे उपभोक्ता को संयोजन प्रदान किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

(घ) उपरोक्त कारणोंवश यदि संयोजन का स्थाई विद्युत विच्छेदन मेरे द्वारा कराया जाता है तो संयोजन में प्रयोग होने वाली निगम की सामग्री जिसका पैसा 30प्र0 पा0 कार्पोरेशन/लि0 के खाते में पूर्व से ही जमा है सामग्री के मूल्य का किसी भी दशा में मेरे द्वारा प्राप्त करने का दावा नहीं किया जाएगा तथा उस सामग्री पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा।

(ज) उपभोक्ता को पूर्व में स्थापित परिवर्तक से एल0टी0लाइन पर निजी नलकूप संयोजन प्रदान किया जाता है लेकिन उपभोक्ता उस परिवर्तक से संयोजन नहीं लेना चाहता है ऐसीपरिस्थिति में उपभोक्ता को नये परिवर्तक हेतु घूट के अतिरिक्त निगम द्वारा निर्धारित परिवर्तक की राशि उपभोक्ता को जमा करना होगा जिसके लिए उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(झ) मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के उपरान्त यदि अगले माह तक विद्युत बिल प्राप्त नहीं होता है तो हमारी/स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि अगले माह/आगामी माहों में खण्डीय कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड तृतीय लालगंज रायबरेली से बिल प्राप्त करूँगा/करता रहूँगा तथा उसका भुगतान ससमय करूँगा/करता रहूँगा।

(ञ) मैं/हम आगे इस बात पर सहमत हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये घोषणा पत्र को अनुज्ञप्तिधारी के साथ किये गये उपरोक्त आशय के किसी अनुबन्ध की तरह समझा जायेगा।

(ट) मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे/हमारे ज्ञान में सत्य हैं। यदि कोई सूचना किसी वाद की दिनांक पर गलत पाई जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति रोक देने/काट देने जैसी स्थिति होने का अधिकार होगा।

(ठ) मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरण से कोई अनधिकृत परिवर्धन/परिवर्तन या चोरी या दुर्विनियोग या मीटर को छेड़ते हुए या उससे कोई छेड़छाड़ न हो। दूसरे शब्दों में मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मुझे/हमको उपलब्ध कराई गई ऊर्जा को विधिसम्मत और प्राधिकरपूर्ण उपयोग किया जाये। उस दशा में जबकि अनुज्ञप्तिधारी के पास यह समझने या आशंका करने का सुकितयुक्त आधार हो कि उपकरण में अप्राधिकृत परिवर्धन/परिवर्तन चाहे वह कैसा भी क्यों न हो किया गया है, या दुर्विनियोग या ऊर्जा का उपयोग या मीटर से छेड़ते हुये विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है या उससे छेड़छाड़ की गयी है तो अनुज्ञप्तिधारी का कोई परामिहित प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह उपकरण मीटर और वायरिंग आदि के सामान्य निरीक्षण और परीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश कर सके।

(ड) मैं बचन देता हूँ कि जब कमी वह परिसर जिसके लिए विद्युत कनेक्शन लिया जा रहा है खाली करना है तो अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत वितरण सहिता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सूचित करूँगा। दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान
गवाहों के ह0

राम दुलारी

① राम दुलारी 21/01/11 8021/11/2011
21/11 22 कुटी पोस्ट-223011

राम दुलारी 810 82/2011

पाप रक्षि सुन्दरजी

अधिभाषी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड तृतीय
- रायबरेली

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



7101010101010

Certificate No. : IN-UP38396924905933U
Certificate issued Date : 02-Nov-2022 03:09 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14256304/ RAEBARELI SADAR/ UP-RAB
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1425630469640924537944U
Purchased by : SMT RAM DULARI WO LATE HANUMAN
Description of Document : Article 4 Affidavit
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) :
First Party : SMT RAM DULARI WO LATE HANUMAN
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : SMT RAM DULARI WO LATE HANUMAN
Stamp Duty Amount(Rs.) : 10
(Ten only)

सत्यमेव जयते



Please write on this side only

शपथकर्ता मिनजानिब राम दुलारी शपथ-पत्र पुत्र/पत्नी डॉ. हनुमान निवासी.
52 कुर्/ 1500 रायबरेली निम्न बयान करती हूँ।

धारा १ यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है।
धारा २ यह कि शपथकर्ता की भूमि संख्या.....मे बोरिंग सफल है और चल रही है।
धारा ३ यह कि शपथकर्ता विद्युत नलकूप हेतु कनेक्शन लेना चाहता है।
धारा ४ यह कि शपथकर्ता के चक के पास कोई राजकीय नलकूप व नहर नहीं है।
धारा ५ यह कि शपथकर्ता एवं उसके परिसर के विरुद्ध किसी प्रकार का विद्युत देय बकाया नहीं है एवं भविष्य में समय से विद्युत बिल की अदायगी करेगा तथा विद्युत नियमों का पालन करेगा।
धारा ६ जमा योजना, सामान्य योजना, लघु सिंचाई तथा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत संयोजन प्राप्त करने पर नया परिवर्तक स्थापित किया जाता है अथवा पूर्व से ही स्थापित है (लेकिन अधिभारित नहीं है) ऐसी दशा में.....उपरोक्त पावर कार्पोरेशन नि०लि० द्वारा उसी परिवर्तक से किसी अन्य उपभोक्ता को संयोजन प्रदान किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी
धारा ७ यह कि उपभोक्ता को पूर्व में स्थापित परिवर्तक से एल०टी० लाइन पर निजी नलकूप संयोजन प्रदान किय जाता है लेकिन उपभोक्ता उस परिवर्तक से संयोजन नहीं



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



210710710710

Certificate No. : IN-UP38400488598914U
 Certificate issued Date : 02-Nov-2022 03:10 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14256304/ RAEBARELI SADAR/ UP-RAB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP14256304696473786613094U
 Purchased by : SMT RAM DULARI WO LATE HANUMAN
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : SMT RAM DULARI WO LATE HANUMAN
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : SMT RAM DULARI WO LATE HANUMAN
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10
 (Ten only)



समक्ष श्रीमान अधि० अभियंता विद्युत वितरण खण्ड रायबरेली

शपथकर्ता मिनजानिब : रायबरेली
 निवासी : रायबरेली
 निम्न बयान करता हूँ।

धारा १: यह कि शपथकर्ता अश्व शक्ति स्वतंत्र कनेक्शन में रु० २५००/-
 (दो हजार पांच सौ) अग्रिम जमानत धनराशि विद्युत विभाग में
 जमा कर चुका है।

धारा २: यह कि शपथकर्ता उच्च विद्युत प्रदाय संहिता २००५ संलग्न ४.१२ संवर्ग खण्ड सं० ४.१४
 और (५) विद्युत उर्जा आपूर्ति के लिये उसके अन्तर्गत करार करता है कि स्ट्रांग कान्स्ट्रक्शन कम्पनी
 के वाद में मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया कि उक्त के पक्ष में १००% मूल्य का
 स्टाम्प शुल्क देय है।

धारा ३: यह कि शपथकर्ता मा० उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा मा० उच्च
 न्यायालय में एस०एल०पी० प्रोन्नत की गई है। मा० उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय मान्य है।

धारा ४: यह कि शपथपत्र में लिखित धारा १ त ३ सत्य व सही है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
 ईश्वर मेरी मदद करे।

ह० शपथकर्ता

Sworn and affirmed before me by Smt. Ram Dulari who personally appeared before me at my office on 02-11-2022
 [Signature of Notary]

राम दुलारी
 [Signature of Sworn Party]